INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	[illegible]
Certificate Issued Date	[illegible]
Account Reference	[illegible]
Unique Doc. Reference	[illegible]
Purchased by	GAJRAJ SINGH SON OF [illegible]
Description of Document	Article 35 Lease
Property Description	PLOT SITUATED AT [illegible] KANPUR
Consideration Price (Rs.)	
First Party	GAJRAJ SINGH SON OF [illegible]
Second Party	GAJRAJ SINGH SON OF [illegible]
Stamp Duty Paid By	GAJRAJ SINGH SON OF [illegible]
Stamp Duty Amount(Rs.)	[illegible]

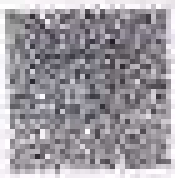

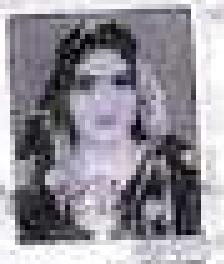

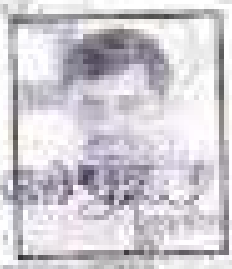

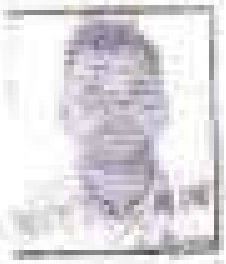

(3)

पट्टा- विलेख
किरायानामा (औद्योगिक)
वार्षिक किराया-12000/-
प्रीमियम-1000/-
कीमत-72000/-
स्टाम्प-[illegible] वर्ष की अवधि के
स्टाम्प-1500/-
वार्ड-1

[illegible]

[illegible]

(2)

जिसकी चौहद्दी–पूरब में [illegible] व पश्चिम में [illegible] सिंह आदि व उत्तर में [illegible] व दक्षिण में [illegible] आदि [illegible] किरायानामा [illegible] व मकान [illegible] मुझ [illegible] से रु0–2200/– (रुपये [illegible]) मासिक किराये पर [illegible] के लिए किरायेदार को किराये पर दिया है और मुझ किरायेदार ने [illegible] से निम्नलिखित शर्तों पर किराये पर लिया है–

प्रमाणित
[illegible]
[illegible] (बिजनौर)

५. यह कि उक्त भवन की किरायेदारी 01.07.2022 से प्रारम्भ होगी इसी दिन से किराया लागू होगा। जिसकी अवधि 30 वर्ष अन्तरिम के लिए है। यदि पट्टा के बाद भी द्वितीयपक्ष को उक्त भवन की आवश्यकता हो तो दोनों पक्षों की सहमति से रजिस्टर्ड किरायानामा के द्वारा उक्त भवन को प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को आगे भी किराये पर दिया जा सकता है। जिसका पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। किरायानामा की अवधि 29 वर्ष 11 माह 29 दिन अर्थात 30 वर्ष अन्तरिम होगी।

(4)

2. यह कि द्वितीयपक्ष [illegible] [illegible] का प्रयोग [illegible] के अलावा अपनी आवश्यकतानुसार अन्य किसी कार्य में प्रयोग कर सकता है।

3. यह कि उपरोक्त आराजी का किराया द्वितीयपक्ष प्रतिवर्ष [illegible] को [illegible] की [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की आराजी किसी भी दशा में [illegible] नहीं होगी तथा [illegible] [illegible] की [illegible] के [illegible] 30 वर्ष [illegible] में [illegible] जा सकता है। तथा द्वितीयपक्ष [illegible] किसी अन्य को किराये पर दे सकता है। प्रथमपक्ष को कोई एतराज न होगा।

सुशीला देवी

[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] ([illegible])

4. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भवन में आपत्तिजनक किसी प्रकार का व्यवसाय तथा निर्माण अपनी मर्जी से नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीयपक्ष अपनी आवश्यकतानुसार कोई व्यावसायिक ढांचा मकान में कर सकता है। जब द्वितीयपक्ष किरायेदारी की अवधि समाप्त होने पर खाली करेगी व निर्माण हटा लेगी।

6. यह कि द्वितीयपक्ष किरायेदारी की अवधि के अन्तर्गत यदि उपरोक्त मकान का किरायानामा / सब पट्टानामा किसी अन्य किसी को प्रदान करेगी तो उसमें निहित अवधि तक किरायेदारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. यह कि उक्त भवन का मालगुजारी [illegible] है। जिसके अनुसार इस लीज डीड की प्रकार [illegible] की भाव व [illegible] दर्शायी गयी है।

हनुमान सिंह [illegible]
कानपुर, [illegible]

(8)

4. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त मकान में व्यापारिक किसी प्रकार का व्यवसाय (अपना निजी) अपनी आवश्यकता से कर सकेगी।

5. यह कि द्वितीयपक्ष अपनी आवश्यकतानुसार कोई अस्थायी उक्त मकान में कर सकता है। एवं द्वितीयपक्ष किरायानामा की अवधि समाप्त होने पर सामान हटाकर व निर्माण हटा देगी।

6. यह कि द्वितीयपक्ष किरायानामा की अवधि के अन्तर्गत यदि उपरोक्त मकान का किरायानामा / यह एग्रीमेंट किसी अन्य किसी को करना चाहेगी तो उन्हें नियम अवधि तक किरायानामा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. यह कि उक्त मकान का मालिकाना [illegible] है। जिसके अनुसार [illegible] की उक्त [illegible] की बात व [illegible] जाती है।

[illegible]

8. यह कि [illegible] को विलेखनामा करने का अधिकार होगा।

9. यह कि इस विलेखनामा की पाबन्दी दोनों पक्षों व उत्तराधिकारियों पर लागू रहेगी।

10. यह कि विलेखपत्र का समस्त [illegible] होने पर विलेखनामा [illegible] समाप्त हो जायेगा।

अतः [illegible] के इस विलेखनामा आज दि0-26/07/2022 को लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे [illegible] की उपस्थिति में।

हनुमान सिंह [illegible]
[illegible]

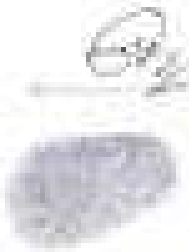

(/)

मसौदा एवं [illegible] [illegible] इन्द्रवीर सिंह [illegible] [illegible] [illegible] बिलानी जिला [illegible] द्वारा किया गया है। मो0-[illegible]

गवाह-1. [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह नि0 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बिलानी जिला [illegible]।

गवाह-2. इन्द्रवीर सिंह रावत [illegible] [illegible] बिलानी जिला [illegible]।

[illegible] सिंह [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] ([illegible])